here and make the same statement. And we will discuss that.

SHRI P. SHIV SHANKER: They want to run away from the discussion. They are not prepared for a debate.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: How many times have we to say? Let the Prime Minister make the same statement here... (*Interruptions*)

SHRI BUTA SINGH: Madam, let me assure this august House once for all that I swear that we will prove every word that the Prime Miinster has said.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: We condemn every word he has said against us.

SHRI DIPEN GHOSH: Madam Deputy Chairman, our Home Minister is so incompetent that he possesses the documents of treason but he is not taking any action against him. He is incapable of taking action. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seats.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: If the Home Minister has all the evidence and if he is keeping quiet, then he is the real traitor to the country. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Please it down. (*Interruptions*)

SHRI H. K. L. BHAGAT: Did it not mean encouraging separatism?

THE DEPUTY CHAIRMAN: If the House so wants, I will take the sense of the House. Those in favour will say, yes, those against will say no. (*Interruptions*)...

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at forty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at forty-three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Mirza Irshadbaig)** in the Chair.

RE: BUSINESS OF THE HOUSE

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): I am on a point of order. It is about the business of the House only. There is a general convention that whenever constitutional amendments are discussed, the House is told when the Prime Minister or the Minister concerned would reply and when the voting takes place. Will the Government tell us when the Prime Minister will reply and when will the voting take place?

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan): Even at the cost of repetition I would say—this is an important aspect—that we would like to be informed about it because in any constitutional amendment—and I have for the past decade now participated in many constitutional amendments—we are informed when the reply from the Treasury Benches will be and between what hour and what hour voting will be there. This enables the parties also to organise presence so that voting is proper. This is a limited aspect and we would like to be informed what is going to be today's schedule. Is it only up to 6 O'clock, because we in the opposition have not been consulted about the extension and we would like to know if it is for spilling over the debate to 18th, and we would like to know when the reply and the voting will be.

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने इसके लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया है और 16

घंटे तो 18 तारीख तक भी मुझे मुश्किल लगते हैं तो इसलिए 18 तारीख तक तो चलेगा ही और इस में प्रधान मंत्री जी शायद जवाब देंगे । अब समय तो टाइम के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा । प्रधान मंत्री जी इस डिबेट में मेरा ख्याल है जरूर हिस्सा लेंगे और शायद जवाब भी देंगे । . . . (व्यवधान) लेकिन टाइम का अभी कैसे कह सकते हैं । टाइम का नहीं कह सकते हैं कि कब जवाब देंगे । बोलने वाले इतने महानुभाव हैं । टाइम फिक्स करना मेरा काम नहीं है, टाइम फिक्स करना चेयर का काम है । मैं इतना ही कह सकता हूं . . . (व्यवधान) डिबेट ग्रुप करना नहीं चाहते हैं । परसों आपने एक घंटा खराब कर दिया । आज आप जानते हैं, 11 बजे से लेकर पौने 2 बजे, तक पौने 3 घंटे आपने जाया कर दिए . . .

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र : हाजी मस्तान का नाम लोगों ने क्यों उठाया ।

श्री भजन लाल : मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत भारी महत्वपूर्ण बिल है और इसमें प्रधान मंत्री जी आपकी जो डिबेट होगी उसका जवाब देंगे . . . (व्यवधान) ऐसा मेरा ख्याल है टाईम मैं नहीं बता सकता हूं । 16 घंटे आपने तय कर रखे हैं, मैं इसको कैसे काट सकता हूं । यह तो बिजिनेस एडवाइजरी कमैटी का काम है कि बिजिनेस एडवाइजरी कमैटी कितने घंटे काम करेगी । इस पर कब मतदान होगा यह बिजिनेस एडवाइजरी कमैटी का काम है, जो फैसला बिजिनेस एडवाइजरी कमैटी देगी जिसमें आप भी शामिल होते हैं, उसके मुताबिक हम उस पर अमल करेंगे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 1970 से लेकर इस सदन में सदस्य रहा हूं और अनेक बार संविधान संशोधन पर हमने बहस की है । जब भी किसी संविधान संशोधन विधेयक पर बहस होती है तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी तो समय निर्धारित करती है कि 15 घंटे, 18 घंटे या 20 घंटे लगेंगे लेकिन उसके जो तीन स्टेजेज हैं, एक कंसीडरेशन, मोशन पर डिस्कशन फिर क्लाज बाई क्लाज चर्चा और फिर फाइनल थर्ड रीडिंग पर डिस्कशन, इन चर्चाओं पर कितना समय लगेगा उसका मोटा अनुमान संसदीय मंत्रालय लगाता है मोटा अनुमान उसका अंदाजा लगाकर और फिर सभापति की तरफ से पूरे सदन को जानकारी दी जाती है कि पहली स्टेज फलानी तारीख के लगभग फलाने समय पर खत्म होगी, या यह कह देते हैं कि प्रधान मंत्री या जो भी मंत्री उस बिल को पाइलट कर रहे हैं, वे दोपहर के 3 बजे के करीब जवाब देंगे । इससे सदन के सभी सदस्यों को अंदाजा हो जाता है कि 3 बजे के बाद साढे 3 बजे या पौने 4 बजे वोटिंग होगी । यह अंदाजा हमेशा दिया जाता है । मेरा निवेदन यह है कि सदन के सदस्यों के लिए, सभी के लिए और वे केवल इस पक्ष के नहीं इस पक्ष और उस पक्ष दोनों की जानकारी के लिए अगर संसदीय मंत्रालय हमको अंदाजा दे दे कि शुक्रवार को 18 तारीख को प्रधान मंत्री जी जवाब अमुक समय पर देंगे । यह ठीक है इसमें थोडा बहुत वरियेशन हो जाता है, इतने लोग बोलते हैं । लेकिन जानकारी मोटे तौर पर दी जाती है । यह नहीं होता है कि सब कुछ अंधकार में चल रहा है, तीनों दिन तक सभी चौबीसों घंटे बैठे हुए हैं । यह नहीं होता है और इस मसले में चाहे बिजिनेस एडवाइजरी फिर से बैठे, उसने एक बार समय तय कर लिया, उसके बाद यह पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम है कि मोटा अंदाज लगाकर सभापति को बता दें और सभापति उसको घोषित कर दें । यही मेरा निवेदन है ।

श्री भजन लाल : आडवाणी साहब ने जो कुछ कहा इसमें बड़ा वजन है । इसकी कद्र करते हैं । अच्छी बात की कद्र करनी चाहिए । लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, 16 घंटे आपने टाइम तय कर दिया है और 4 घंटे वैसे जाया हो गये । अब देखना यह है कि कितने बोलने वाले रहते हैं, अगर बोलने वाले रह जायें तो शायद हाउस का टाइम

भी बढ़ाया जा सकता है. (**व्यवधान**) काफी लोग बोलने वाले हैं। लेकिन अभी डेफिनिटिव यह है कि 18 तारीख को दोपहर के बाद प्रधान मंत्री जी ने आना था और उन्होंने आपकी डिबेट का जवाब देना था लेकिन अभी पक्का, पुख्ता तौर से आपको नहीं कह सकता हूं क्योंकि बोलने वाले महानुभाव बहुत ज्यादा है और कल छुट्टी है। आप जानते हैं छुट्टी होगी या नहीं होगी ...(**व्यवधान**) यह तो आप जानते हैं। कल छुट्टी है, राखी बंधन है।

श्री जगे बेसाई (महाराष्ट्र) : कल छुट्टी है।

श्री भजन लाल: कल छुट्टी है तो परसों 18 तारीख का एक दिन बाकी बचता है। इस वक्त तक का जो प्रोग्राम था वह यह था कि सेशन 18 तारीख तक चलेगा और 18 तारीख को डिबेट का प्रधान मंत्री जी जवाब देंगे लेकिन इसका फैसला आपको 18 तारीख को सुबह बता दिया जायेगा कि प्रधान मंत्री कितने बज हाउस में आकर डिबेट का जवाब देंगे या कब देंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मंत्री जी ने जो अभी बात कही है उसके कारण तो और भी आवश्यक हो जाता है कि संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष को भी विश्वास में ले कर यह बतायें कि क्या इसके कारण सदन की कार्यवाही एकाध दिन बढ़ाने वाले हैं। मेरे मन में एक और चिंता है और वह यह कि आखिर कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनको मैं मानता हूं सदन को अवश्य पास करना चाहिए इनके अलावा। जैसे मैं चाहता हूं कि बचावत कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो वर्किंग जर्नलिस्ट का एक्ट है, उसको जरूर पास करना चाहिए हमको, उसको स्थगित नहीं करना चाहिए और इस कारण भी हमको ध्यान में रखकर यदि यह सदन बढ़ाना पड़ सकता है तो अभी से पता लगना चाहिए। अगर हमारा इरादा यह है कि हम उसको पास नहीं होने देंगे या एकाध दिन बाद में, उसी दिन शुक्रवार को फैसला कर लेंगे, तो मेरा इतना ही कहना है कि यह तरीका सदन के साथ न्याय करना नहीं है—

We should know in advance. After all, the situation is know.

जितना समय आज लगा प्रातःकाल, सबको पता है। आखिर तो स्पेशल सेशन हमने परमिट नहीं किए, अध्यक्ष की तरफ से ही परमिट हुए। उसमें भी समय लगना था अन्यथा ऐसे अवसर बहुत आए हैं, जब हम समझते हैं कि फलाना-फलाना बिल जो है, वह बहुत आवश्यक है, कोई आज स्पेशल सेशन नहीं होगा। लगता है, किसी दूसरी बात से... (**व्यवधान**).... मैं नहीं जानता हूं।

मेरा तो इतना ही निवेदन है कि—

These things should not be *ad hoc*.

The manner in which the Parliamentary Affairs Ministry is functioning is not fair to the House. We should not be taken for granted. We should know where we stand. Therefore, again I repeat that we should know about both the things, that is (1) when the Prime Minister is going to reply to the motion for consideration of these Bills and (2) whether the Session is to be extended or not. If it is to be extended, we should take a decision today itself, not on Friday.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): I would like to draw the attention of the Chair and the Members of the House that when we met the other day in the Business Advisory Committee, the time-schedule was discussed and we were given to understand that we have to sit till 18th, not beyond. We wanted to ascertain even then whether we are going to sit beyond 18th and the consensus was that at no cost there would be extension of session beyond 18th.

SHRI JASWANT SINGH: There is a rumour afloat that there will be no voting on these two Constitution

Amendment Bills. This was the rumour in the Central Hall and I would like the rumour to be dispensed with.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्या मंत्री जी, ऐसा है? मंत्री जी इसको भी बता दें।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Let me complete. It was also discussed in the meeting that no special mentions will be allowed when these two Bills are taken up for consideration. This is the consensus. (*Interruptions*). We can talk. I am not on that point at all. I am drawing the attention of the House that these two things had been discussed. Now as the Minister, Shri Bhajan Lal, has said that the Prime Minister is likely to reply to the debate on the 18th, that means...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: नहीं, कहते हैं कि वोटिंग तभी होगी जब वे मेंबर और डिफेंडवालीफाई हो जाएंगे इधर के।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): This month or next month.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Day after tomorrow. What happens to our decision? Are we sitting beyond 18th? Today is the penultimate day. Even then we are not told whether we are sitting beyond 18th, whether we are passing these two Bills, whether they intend to discuss these two Bills, whether they are interested in going through the discussion of these two Bills in this session or not. Let us know whether they want to sit beyond 18th or, as I said earlier, let the Government make up its mind. Perhaps the Government does not know its own mind. They should make up their mind so that we may adjust our programmes accordingly.

SHRI V. GOPALSAMY: Where is the Parliamentary Affairs Minister, Shri Jacob?

श्री भजनलाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है फैसला करने का कि हाउस कितने दिन चले। जैसा कि अभी आपने बताया, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला किया गया कि हाउस 18 तक चलेगा, सरकार को भी यही बात है कि हाउस 18 तक चलेगा और 18 तक चलने के हिसाब से मैंने आपसे निवेदन किया कि 18 तारीख को बोपहर बाद शायद प्रधानमंत्री जी हाउस में आएं और आपकी डिबेट जो होगी, उस पर रोशनी डालें। और आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, यह काम हमारा नहीं है। यह काम बिजनेस एडवायजरी कमेटी का है। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में आप खुद शामिल होते हैं, खुद बैठते हैं। बिजनेस एडवायजरी कमेटी जो फैसला करेगी वह कार्यवाही आगे की जाएगी उसके अलावा यह जो बातें आपने कही हैं, ये सारी बात और जो आपकी फीलिंग्स हैं मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री को कनवे कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बनों विधेयक—पंचायती राज विधेयक और नगरपालिका विधेयक—ऐतिहासिक विधेयक हैं। हर हालत में इस सेशन में पास करना चाहते हैं आप इससे कहीं भागना चाहते हों तो अलग बात है, हमें पता नहीं। लेकिन हम इन्हें हर हालत में पास कर के लोगों के हाथों में शक्ति देना चाहते हैं, लोगों के हाथों में काम देना चाहते हैं।

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र: हम नहीं भागना चाहते हैं, आपको भगाना चाहते हैं।

SPECIAL MENTIONS—Contd.

Demand for a statement on Gohpur Incident

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Sir, on the 14th August, the Home Minister stated that he would come with the latest facts before the House about the Gohpur incident. As far as I know, the Government of Assam has already sent a detailed report to the Home Minister and it has been stated therein that only nine